TO A TO SEN!

10-02-18

प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 10.02.18 में प्रस्तुत। आवेदिका सरोज सहित अधिवक्ता श्री अशोक जादौन। अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री के0 के0 शुक्ला।

आवेदिका द्वारा एक आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉकेट इस आशय का प्रस्तुत किया कि मूल प्रकरण का निराकरण हो गया है, इस कारण से इस प्रकरण को सहमति से समाप्त करना चाहते हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया है।

पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा के आधार पर प्रकरण के निराकरण की अनुशंसा की गयी। अतः आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

चूंकि पक्षकारों के मध्य प्रकरण आगे न चलाने के संबंध में सहमित होने का निवेदन किया है। ऐसे में प्रकरण लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः राजीनामा बाद तस्दीक स्वीकार किया जाता है। प्रकरण तद्नुसार निराकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सदस्य सदस्य पीठासीन अधिका